

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय/  
विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस.एक्ट, शामली।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1242/2026

भूरा उर्फ बिल्ला पुत्र स्व० असगर, निवासी ग्राम मण्डावर, थाना कैराना, जिला शामली।

..... आवेदक/अभियुक्त,

**बनाम**

उ०प्र० राज्य द्वारा सहायक विशेष लोक अभियोजक, शामली।

..... विपक्षी,

मु०अ०सं० 328/2026

धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट

थाना झिंझाना, जिला शामली।

**दिनांक:-05.08.2026**

यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त भूरा उर्फ बिल्ला पुत्र स्व० असगर, की ओर से मु० अ० सं० 328/2026, अन्तर्गत धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना झिंझाना, जिला शामली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आदेश पत्रक के हाशिए पर इस आशय का पृष्ठांकन किया गया है कि वह जमानत प्रार्थना पत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं।

अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से बल न दिये जाने के कारण जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय)  
विशेष न्यायाधीश एन०डी०पी०एस० एक्ट, शामली।